

## प्रेस नोट

दिनांक 22.03.2021

सराहनीय कार्य थाना संग्रामपुर व एसओजी जनपद अमेठी

अवैध अपमिश्रित देशी शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार, बोलेरो वाहन से 18 पेटियों (810 शीशी) में अवैध अपमिश्रित शराब बरामद ।

जनपद अमेठी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत अभियान के क्रम में अमेठी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध अपमिश्रित शराब के बिक्री के विरुद्ध अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 21.03.2021 को प्र0नि0 प्रेम चन्द्र सिंह मय हमराह व एसओजी अमेठी मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक बोलेरो वाहन संख्या यूपी 72 एन 0737 में लदी नकली अपमिश्रित देशी शराब के साथ 02 अभियुक्त 1. धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रानू पुत्र राजेन्द्र सिंह व 2. अभियुक्त शैलेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ टीपू पुत्र भानू प्रताप सिंह नि0गण दादूपुर पोस्ट पाराअमितपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को ग्राम सहजीपुर बैरियर के पास से समय करीब 08:10 बजे शाम को गिरफ्तार किया गया व एक अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया । बोलेरो गाड़ी की तलाशी से वाह आरंज देशी शराब की कुल 18 पेट्टी अवैध अपमिश्रित शराब बरामद हुआ । पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम तीनों लोग मिलकर अवैध अपमिश्रित शराब तैयार करते हैं व जगह-जगह गांव व कस्बों में सप्लाई कर बेचते हैं, बरामद शराब नकली है व शीशी पर लगा रैपर व बारकोड भी नकली है । फरार अभियुक्त का नाम अविनेश प्रताप सिंह उर्फ कल्लू नि0 डीह थाना बल्दीराय जनपद सुल्तानपुर बताये । थाना संग्रामपुर द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारी स्थान- सहजीपुर के पास

दिनांक- 21.03.2021

\*समय- 08:10 बजे शाम

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रानू पुत्र राजेन्द्र सिंह नि0 दादूपुर पोस्ट पाराअमितपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।
2. शैलेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ टीपू पुत्र भानू प्रताप सिंह नि0 दादूपुर पोस्ट पाराअमितपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।

फरार अभियुक्त का नाम व पता-

- अविनेश प्रताप सिंह उर्फ कल्लू नि0 डीह थाना बल्दीराय जनपद सुल्तानपुर ।

बरामदगी-

- 18 पेट्टियों (810 शीशी) में अवैध अपमिश्रित शराब ।
- बोलेरो वाहन यूपी 72 एन 0737 \*(धारा 207 एमवी एक्ट में सीज)\*।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 60 /21 धारा 419,420,467,468,471,269,272 भादवि व 60/72 आबकारी अधिनियम थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास- धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रानू

1. मु0अ0सं0 138/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कमरौली जनपद अमेठी ।
2. मु0अ0सं0 139/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कमरौली जनपद अमेठी

पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 प्रेमचन्द्र सिंह थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
2. उ0नि0 विनोद कुमार यादव प्रभारी एसओजी जनपद अमेठी ।
3. उ0नि0 धीरेन्द्र कुमार वर्मा थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
4. का0 अमित सिंह चीमा थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
5. का0 करुणा निधान थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
6. का0 कृष्ण उदय मौर्या थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
7. का0 ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह एसओजी जनपद अमेठी ।
8. का0 जितेन्द्र यादव एसओजी जनपद अमेठी ।
9. का0 अंकित पाण्डेय एसओजी जनपद अमेठी ।